

S.Tr. No. 315/2019

21-11-2019 अभियुक्त अनुपस्थित है। अभियोजन की ओर से साक्ष्य हेतु कोई पैरवी नहीं है। अभिलेख अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियुक्त फरार है एवं निर्गत अधिपत्र का तामिला अप्राप्त है। कार्यालय मूल अभिलेख को अभिलेखागार में इस निर्देश के साथ जमा करें कि इसे विनष्ट नहीं करेंगे।

लेखापित

हस्ता०

अपर सत्र न्या० सप्तम